

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 2295 /2343/2015/ई/चार
प्रति,

भोपाल दिनांक 14 सितम्बर 2015

आयुक्त,
संस्थागत वित्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:-जनभागीदारी योजना एवं बाह्य वित्त पोषित परियोजना के प्रकरण राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया के संबंध में ।

सन्दर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 1738/2343/2015/ई/चार, दिनांक 13 जुलाई 2015.

--00--

उपरोक्त सन्दर्भित ज्ञाप से जनभागीदारी योजना एवं बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं से संबंधित प्रकरणों में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था । उक्त ज्ञाप की कंडिका क्रमांक 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

2/ जन निजी भागीदारी परियोजना के प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न किये जायें:-

- (1) संपूर्ण डी.पी.आर.
- (2) आर.एफ.पी./आर.एफ.क्यू.
- (3) एम.ओ.यू. /कंसेशन अनुबंध

बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायें:-

- (1) प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन (Concept note)
- (2) निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव


(अनिरुद्ध मुखर्जी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 2296 /2343/2015/ई/चार
प्रतिलिपि:-

14
भोपाल, दिनांक सितम्बर 2015

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त, के स्टाफ आफीसर,
 2. प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त, के निज सहायक,
 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश भोपाल,
 4. संचालक, संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 5. संचालक, संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश,
 6. संचालक, बजट, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल
 7. समस्त उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



(सुषमा शर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग